जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व शाखा)

(E-mail ID- adcchaibasa@gmail.com)

पत्रांक 60(A)/रा0

प्रेषक,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह– अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

चाईबासा, दिनांक 11/06/19

विषयः– श्री सिराज दत्ता(Work on social policy in Jarkhand associated with the Right to campaingn) से प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में की गई सुनवाई का आदेश की प्रति का प्रेषण ।

प्रसंगः– भवदीय पत्रांकः 18/राँची दिनांकः 10.04.2019।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि भवदीय निदेशानुसार श्री सिराज दत्ता(Work on social policy in Jarkhand associated with the Right to campaingn) से प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 15(5) के तहत विभिन्न तिथियों को सुनवाई कर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेश पारित किया गया है।

अतः पारित आदेश की प्रति भवदीय अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

11/6/19

अनुलग्नकः यथोक्त।

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

11/6/19

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
(राजस्व शाखा)

आदेश

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांकः 357(बी)/आ० दिनांकः 19.03.2019 से श्री सिराज दत्ता द्वारा की गयी शिकायत पर सुनवाई हेतु पत्र प्राप्त हुआ। श्री सिराज दत्ता के द्वारा लिखित शिकायत की गयी है कि (1) The PDS ration dealer of Kuira village (Jaipur Gram Panchayat, Hatgamharia Block) cuts 5-7 kgs of rice from the monthly entitlement of 35 kg of Antyodyay (AAY) card holders and 0.5-1.5 kgs of rice from each person's monthly entitlement of 5kgs on a Priority Household card. The dealer did not distribute ration for the month of October/November 2018. (2) Manisha Homeroom (Siyaljoda village, Jaipur Gram Panchayat, Hatgamharia Block) has not gotten ration on her AAY card since October 2018. Her husband's Aadhaar was linked with the ration card and he used to get the ration after biometric authentication at the ration shop. He passed away 6 months back. Since then, Manisha is not able to collect her ration as her Aadhaar is not linked with the card. And the dealer does not give her ration because she is not able to authenticate her identity in the PoS machine. (3) Pachay Munduiya (Dev Jodi village, Jamdiha Gram Panchayat, Hatgamharia Block), an elderly destitute, last received rations under Public Distribution System in March 2017. After that, his family's Priority Household (PH) ration card was cancelled as it was not linked with Aadhaar. (4) Cardholders of Ulirajabasa village (Ulirajabasa Gram Panchayat, Khuntpani Block) have not received ration under Public Distribution System for the months of September-December 2018 and February 2019. They also did not get ration for three months in 2016 and one month in 2017. Also, even though the ration shop is in their village, they have to go to a place 2 km away just for getting the Aadhaar-based biometric authentication done. People, for whom the biometric authentication fails, are denied their grain entitlements. (5) Asai Bodra (Pasaye village, Gram Panchayat, Khuntpani Block) is handicapped. Her Priority Household (PH) ration card was cancelled in February 2019.She does not know the reason for cancellation. She did not get ration for the month of February. Also, had applied for an Antyodyay card in August 2018 but is yet to get one. (6) People of Chhota Bankua village (Khuntpani Block) have not received ration under Public Distribution System since October 2018. (7) People of Argundi village (Khuntpani Block) have to travel 2.5 kms to Khuntpani block just for Aadhaar-based biometric authentication for getting ration from the Public Distribution System. The ration shop is in their village only but there is no internet connectivity in their village. They have to spend money for coming to the block for biometric authentication and make multiple trips at times.

शिकायत पत्र के आलोक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा शिकायत पत्र में उल्लेखित विन्दुओं पर दिनांक दिनांकः 09.04.2019 को अपराहन् 01:00 बजे, दिनांकः 15.05.2019 के पूर्वाहन् 11:30 बजे एवं दिनांकः 27. 05.2019 के पूर्वाहन् 11:30 बजे खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 15(5) के तहत विभिन्न पक्षों की उपस्थिति में बिन्दुवार सुनवाई की गई ।

दिनांकः 09.04.2019 को अपराहन् 01:00 बजे सुनवाई हेतु कार्यालय 421(बी)/रा० दिनांकः 30.03. 2019(छाया प्रति संलग्न) द्वारा संबंधित पदाधिकारी, शिकायतकर्त्ता, जन वितरण प्रणाली दुकानदार एवं ग्रामीण को नोटिश निर्गत किया गया था जिसके अनुपालन में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

1. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खुंटपानी
2. श्री सिराज दत्ता, शिकायतकर्त्ता
3. सचिव, अनिता बिरूआ, परमेश्वर महिला मंडल, ज०वि०प्र० दुकानदार, ग्राम कुईड़ा, प्रखंड–हाटगम्हरिया।
4. सुश्री आसाई बोदरा, ग्राम–पासेया, खुंटपानी प्रखंड।

शिकायतकर्त्ता श्री सिराज दत्ता द्वारा बताया गया कि ग्राम कुईड़ा के ग्रामीणों को जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा सही तरीके से तौलकर अनाज का वितरण नहीं किया जाता है । सुनवाई के दौरान कुईड़ा गाँव के 04 ग्रामीण उपस्थित हुए जिन्हे शिकायतकर्त्ता श्री सिराज दत्ता द्वारा लाया गया था। ये चारो ग्रामीण थे (1.) शांति विरूआ पति स्व० मोंगा विरूआ ग्राम कुइड़ा (ईचापी टोला) (2.) पालो सुन्डी, पति–श्री मुन्दुअ सुण्डी, ग्राम–कुईड़ा (3) मेचो बिरूवा, पति–स्व० चरण बिरूवा, ग्राम–कुईड़ा एवं (4) मधुवा सुण्डी, पिता–स्व० डिबरू सुण्डी। चारों व्यक्तियों से जब राशन कार्ड की मॉग की गई तो वह कार्ड नहीं दिखा पाए। उनका कहना था कि राशन कार्ड डीलर के पास है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर द्वारा कम अनाज दिया जाता है। उपस्थित ग्रामीणों से जब इस संबंध में पुछा गया कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि डीलर द्वारा आपको कम राशन दिया जा रहा है इसपर बताया गया कि प्राप्त होनेवाले अनाज का मापन उनके द्वारा ''पोयला'' के माध्यम से किया जाता है। पहले प्राप्त होनेवाला अनाज 12 पोयला होता था शिकायत अवधि में 09 पोयला ही हुआ। उपस्थित राशन डिलर से इस विन्दु पर पुछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि उन्होने तराजू से तौलकर सही वजन से ही ग्रामीणों को अनाज दिया है। ग्राम कुईड़ा के डीलर अनिता बिरूवा का कहना था कि श्रीमती शांति बिरूवा बिरूवा राशन स्वयं नहीं उठाती है बल्कि उसके पति लेने आते है। दोनो पति–पत्नी अलग रहते हैं। जब वह राशन स्वयं नहीं उठाती है तब कैसे शिकायत कर सकती है, कि कम राशन दिया गया है। राशन डीलर द्वारा आधार कार्ड एवं राशन कार्ड अपने पास रखने के शिकायत के संबंध में राशन डिलर द्वारा विरोध करते हुए बताया गया कि राशन कार्ड को आधार से लिंक करने हेतु उनका राशन कार्ड लिया गया था। जिसकी संपुष्टि बाद में ग्रामीण (राशन उपभोक्ता) द्वारा भी की गयी।

दिव्यांग सुश्री असाई बोदरा, पिता–स्व० राउत बोदरा द्वारा बताया गया कि उनका PH राशन कार्ड बिना किसी कारण के रद्द कर दिया गया। जांचोपरांत ज्ञात हुआ कि सुश्री असाई बोदरा सिया गॉव में अपने भाई के साथ रहती है। लेकिन उनका नाम पुरूनियॉ गॉव में चढ़ गया था। ग्राम पुरूनियॉ में उनका निवास नहीं रहने के कारण उप मुखिया, पंचायत पुरूनियॉ, वार्ड सदस्य न० 10 ग्राम एवं पंचायत–पुरूनियाँ एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खुंटपानी के अनुशंसा के आलोक कार्ड रद्द किया गया। वर्त्तमान में असाई बोदरा से आधार कार्ड एवं बैंक खाता संख्या प्राप्त कर अन्त्योदय राशन कार्ड संख्याः 202007212498 बनाकर दे दिया गया है। सुश्री बोदरा द्वारा बताया गया कि उन्हे फरवरी, 2019 एवं मार्च, 2019 का अनाज प्राप्त नहीं हुआ है। माह अप्रैल, 2019 का 35 कि०ग्रा० अनाज प्राप्त हुआ है (सुश्री बोदरा का बयान की छाया प्रति संलग्न)।

प्रखंड खुंटपानी के ग्राम– उलीराजाबासा के उपस्थित निम्न ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उन्हे वर्ष 2016, वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 के कुछ महिनों का राशन नहीं प्राप्त हुआ है :–

1. मुकरू बानरा, पिता स्व० जामदार द्वारा बताया गया कि उन्हे सितम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2018 का खाद्यान्न नहीं मिला है। माह मार्च 2019 में 35 कि०ग्रा० अनाज प्राप्त हुआ है। इनका राशन कार्ड संख्याः 202004363362 है।
2. अमर पुरती, पिता–स्व० गारदी पुरती द्वारा बताया गया कि कार्ड उनकी पत्नी जाबना पुरती के नाम से है । उन्हे वर्ष 2016 के मार्च, अप्रैल एवं दिसम्बर माह, वर्ष 2017 के मार्च माह तथा वर्ष 2018 के माह सितम्बर से माह दिसम्बर का खाद्यान्न नहीं मिला है। वर्ष 2019 के माह मार्च का खाद्यान्न प्राप्त हुआ है। इनका राशन कार्ड संख्याः 202004363387 है।
3. मानसिंह बानरा पिता स्व० रमाय बानरा द्वारा बताया गया कि उन्हे वर्ष 2016 के मार्च एवं अप्रैल माह, वर्ष 2017 के मार्च माह तथा वर्ष 2018 के माह सितम्बर से माह दिसम्बर का खाद्यान्न नहीं मिला है। वर्ष 2019 में जनवरी माह से लेकर मार्च माह तक का खाद्यान्न प्राप्त हुआ है। इनका राशन कार्ड संख्याः 202004363363 है।
4. राली पुरती पिता स्व० चुम्बरू पुरती द्वारा बताया गया कि उन्हे वर्ष 2017 में माह मई से दिसम्बर तथा वर्ष 2018 में जनवरी, फरवरी, माह सितम्बर से माह दिसम्बर का खाद्यान्न नहीं मिला है। बायो मैट्रिक मशीन में फिंगर प्रिंट नहीं आने के कारण खाद्यान्न नहीं मिल रहा है।
5. संजय कुमार बानरा, पिता–विरेन्द्र कुमार बानरा का कहना था कि मार्च 2019 तक खाद्यान्न मिला है। उसकी पत्नी राशन लेने जाती है। डीलर से उसे कोई शिकायत नहीं है। वे अपने चाचा मुकरू बानरा के कहने पर यहाँ आए हैं।

6. अमन बानरा, पिता–डुबरा बानरा का कहना था कि उसे राशन कार्ड है लेकिन वह बाहर रहता है। अतः बता नहीं सकता है कि किस माह तक का राशन मिला है। वह राशन कार्ड लेकर नहीं आया है।
7. विजय बानरा, पिता–स्व० मंगल बानरा के द्वारा राशन कार्ड दिखाया गया जिसमें दर्ज प्रविष्टि के अनुसार वर्ष 2016 मे मार्च एवं अप्रैल, वर्ष 2017 में जुलाई माह तथा वर्ष 2018 में सितम्बर से दिसम्बर तक खाद्यान्न नहीं मिला है।

ग्रामीण राली पुरती के राशन कार्ड के संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खुंटपानी को तीन दिनों के अंदर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खुंटपानी के पत्रांकः 382(बी)/रा० दिनांकः 12.04.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में इनका राशन कार्ड संख्याः 20200621076 निरस्त कर दिया गया था। श्री राली पुरती का परिवार राशन कार्ड का अर्हता रखता है। अतएव नया राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वर्ष 2018 में सितम्बर से दिसम्बर तक खाद्यान्न नहीं मिलने के संबंध में प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि खाद्यान्न की मात्रा में कटौती होने के कारण उस माह में वितरण नहीं हुआ है।

पाचाय मुन्दुईया पिता स्व० मधुवा मुन्दुईया ग्राम देवझारी पंचायत जामडीह का आवेदन पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, हाटगम्हरिया के पत्र संख्या 240 दिनांकः 05.04.2019 के माध्यम से प्राप्त हुआ । उक्त पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि शारिरिक दिव्यांगता के कारण सुनवाई में उपस्थित हो पाने में असमर्थ है। उन्हे संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार से कोई शिकायत नहीं है। वर्त्तमान में उनका अन्त्योदय कार्ड बन गया है। राशन कार्ड की छाया प्रति संलग्न है।

दिनांकः 15.05.2019 को पूर्वाहन् 11:30 बजे सुनवाई हेतु कार्यालय 512(बी)/रा० दिनांकः 30.04. 2019(छाया प्रति संलग्न) द्वारा संबंधित पदाधिकारी, शिकायतकर्त्ता, जन वितरण प्रणाली दुकानदार एवं ग्रामीण को नोटिश निर्गत किया गया था जिसके अनुपालन में उपस्थिति निम्नवत रही :–

1. श्रीमती मनीषा हेम्बरोम, ग्राम सियालजोड़ा प्रखंड–हाटगम्हरिया।
2. ज०वि०प्र० दुकानदार आदिवासी महिला समिति के सुमित्रा सिंकु एवं सुखमति
3. ज०वि०प्र० दुकानदार रोशनी महिला समिति के सचिव राईमुनी कान्डेयांग, अरगुंडी, खुंटपानी।
4. श्री मुरली सिंकु ग्रामीण मुण्डा, देवझोरी, प्रखंड हाटगम्हरिया।
5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प०सिंहभूम
6. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खुंटपानी
7. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, हाटगम्हरिया।

श्रीमती मनीषा हेम्ब्रम, पति–स्व० मानकी हेम्ब्रम, ग्राम– जयपुर का कहना था कि उन्हें अक्टुबर 2018 से खाद्यान्न नहीं मिला है। जबकि कार्ड में इसकी प्रविष्टि कर दी गई है। उनका कहना था कि बिना राशन दिये उनके कार्ड में राशन की मात्राा चढ़ा दिया गया है। मार्च एवं अप्रैल 2019 में उन्हें खाद्यान्न मिला है। शक्ति महिला मंडल की अध्यक्ष जानकी डीलर उन्हें अक्टुबर 2018 से फरवरी 2019 तक का खाद्यान्न नहीं दी है। वह इसकी शिकायत सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी को नहीं की हैं। सीराज उसके गॉव आया था और जब उससे पूछा तो वह उसे बतायी थी।

हाटगम्हरिया के प्रखण्ड आपूत्ति पदाधिकारी, श्री शिवपूजन प्रसाद का कहना था कि दिसम्बर 2018 एवं जनवरी से फरवरी 2019 तक कुल 105 **Kg.** चावल श्रीमती मनीषा हेम्ब्रम को दिया गया है। तब श्रीमती मनीषा हेम्ब्रम बोली कि मात्र 100 **Kg** चावल मिला है 5 **Kg** चावल बोला बाद में देंगे। लेकिन अभी तक नहीं दिया है।

पचाय मुन्दुईया, ग्राम–देवझरी, प्रखण्ड–हाटगम्हरिया के संबंध में प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि आधार से लिंक नहीं होने के कारण उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था। जिन्हे 15.03.2019 को अन्तोदय कार्ड बना दिया गया है और 16.03.2019 को उन्हें कार्ड दे दिया गया है और अप्रैल माह से खाद्यान्न मिल रहा है।

आदिवासी फुलकुमारी महिला समूह की अध्यक्ष सुकमती सिंकू का कहना है कि पचाय मुण्डया का राशन कार्ड कैसे कटा मुझे नहीं मालूम है। उनके तरफ से उनका राशन कार्ड रद्द करने की अनुशंसा नहीं की गई थी। पचाय मुण्डया को मार्च 2017 से मार्च 2019 तक का खाद्यान्न नहीं मिला है।

छोटा बंकाउ गॉव के ग्रामीणों का शिकायत है कि अक्टूबर 2018 से खाद्यान्न नहीं मिला है। इस गॉव से किसी भी ग्रामीण के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, खुँटपानी को आदेश दिया गया कि ऐसे कार्डधारियों की सूची दिनांक 27.05.2019 के पहले भेजते हुए अगली निर्धारित तिथि 27.05.2019 को उपस्थित रहें।

अरगुण्डी गॉव के कार्डधारियों का शिकायत है कि Net नहीं मिलने के कारण 2½ Km दूर खुँटपानी प्रखण्ड जाना पड़ता है। इस संबंध में रोशनी महिला समूह की सचिव रायमुनी कांडेयांग का कहना था कि अरगुण्डी गॉव में Net नहीं मिलने के कारण जनवरी 2019 में ग्रामीण को ले गए थे। जबकि खाद्यान्न उनके द्वारा उन्हें दे दिया गया था। अब वह wi-fi लगा ली है। अतः अब ग्रामीण को परेशानी नहीं हो रहे है। अरगुण्डी गॉव के कोई भी ग्रामीण उपस्थित नहीं थे। जिस कारण Net उपलब्धता के संबंध में संपुष्टि नहीं हो सका। जॉच हेतु प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, खूँटपानी को निदेश दिया गया कि वे स्वयं जाकर प्रतिवेदन दे कि नेटवर्क की स्थिति ठीक हो गई है या नहीं।

खुंटपानी प्रखंड के ग्राम उलीराजाबासा एवं ग्राम छोटा बंकुवा के ग्रामीणों को वर्ष 2016, वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 के कुछ माह का अनाज नहीं प्राप्त होने के मामले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खुंटपानी से दिनांकः 15.05.2019 के पूर्व प्रतिवेदन की मांग की गई थी जो अप्राप्त है। अगली सुनवाई की तिथि 27.05.2019 के पूर्व प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

दिनांकः 27.05.2019 को पूर्वाहन् 11:30 बजे सुनवाई के दौरान निम्न पदाधिकारी/ जन वितरण प्रणाली दुकानदार उपस्थित हुए :–

1. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प०सिंहभूम के प्रतिनिधि
2. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खुंटपानी
3. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, हाटगम्हरिया।
4. जन वितरण प्रणाली शक्ति महिला मंडल, सियालजोड़ा के अध्यक्ष जानकी हेम्ब्रम एवं सदस्य दमयंती हेम्ब्रम।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, हाटगम्हरिया द्वारा बताया गया कि निदेशानुसार श्रीमती मनीषा हेम्ब्रम को बकाया खाद्यान्न अक्टुबर 2018 से लेकर फरवरी 2019 तक का भुगतान कर दिया गया है (भुगतान संबंधी प्राप्ति रसीद की छाया प्रति संलग्न)।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खुंटपानी के पत्रांकः 509(बी) दिनांकः 27.05.2019 द्वारा ग्राम उलीराजाबासा एवं पत्रांकः 510(बी) दिनांकः 27.05.2019 द्वारा ग्राम छोटाबंकाउ के ग्रामीणों को जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा खाद्यान्न नहीं दिये जाने से संबंधित जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

सुनवाई के दौरान कार्डधारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्न निर्णय लिया जाता है : –

1. ग्राम कुइड़ा के डीलर द्वारा वर्ष 2018 के अक्टूबर एवं नवम्बर माह में 5Kg कम खाद्यान्न दिया गया है। अतः कम खाद्यान्न देने के आरोप में कुइरा ग्राम के परमेश्वर महिला मंडल को निलंबित कर वैसे राशन कार्डधारी जिन्हें कम खाद्यान्न का वितरण किया गया है शेष खाद्यान्न 02 सप्ताह के अन्दर कैम्प लगाकर उपलब्ध कराने का आदेश प्रखड आपूर्त्ति पदाधिकारी को दिया जाता है ।
2. मनीषा हेम्ब्रम के पति के मृत्यु के पश्चात् उन्हें अक्टूबर 2018 से राशन नहीं मिला। मनीषा हेम्ब्रम को अक्टूबर 2018 से लंबित खाद्यान्न का वितरण प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया है। मनीषा हेम्ब्रम के पति कि मृत्यु के पश्चात् उसका आधार नहीं मिलने के कारण केवल आधार संख्या नहीं होने के कारण उन्हें खाद्यान्न नहीं देकर परेशान किया गया। अतः इसके लिए संबंधित डीलर को निलंबित करने का आदेश तथा प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी एवं जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को चेतावनी दिया जाता है कि वे इसकी पुनरावृति नहीं करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो अपवाद पंजी से खाद्यान्न वितरण करने का निदेश वे संबंधित डीलर को अपने स्तर से देंगे।

3. पचाय मुन्दुईया का राशन कार्ड बिना सत्यापन के रद्द कर दिया गया। कारण बताया गया कि उनका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं था जबकि वह योग्य लाभूक था। डीलर का कहना था कि कार्ड रद्द करने की अनुशंसा उनके द्वारा नहीं की गयी थी। जबकि जॉच एवं सुनवाई के दौरान स्पष्ट हो गया कि पचाय मुन्दुईया सुयोग्य लाभुक है। उनका पूर्व में राशन कार्ड था जिसे रद्द होने के पश्चात पुनः दिनांकः 15.03.2019 को अन्तोदय कार्ड बना दिया गया। केवल आधार कार्ड से लींक नहीं होने के आधार पर राशन कार्ड रद्द नहीं करना चाहिए था बल्कि प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी और जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी का दायित्व था कि वे उनका आधार संख्या बनवाकर कार्ड से लींक करवा देते।

दोनों पदाधिकारी द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है। अतः दोनों पदाधिकारी को चेतावनी देते हुए आदेश दिया जाता है कि स्थलीय जांच कराये बिना कार्डधारी का राशन कार्ड रद्द नहीं करेंगे।

4. ग्राम उलीराजाबासा, प्रखण्ड खूँटपानी के ग्रामीणों का शिकायत है कि उन्हें वर्ष 2016 में 03 (तीन) माह, वर्ष 2017 में 01(एक) माह, वर्ष 2018 में सितम्बर से दिसम्बर तक तथा वर्ष 2019 में फरवरी माह के खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामीणों के राशन कार्ड के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि उन्हें खाद्यान्न का वितरण उक्त अवधि में नहीं हुआ है। प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी का कहना है कि डीलर को पूरा राशन नहीं मिला था अतः डीलर द्वारा इस माह का खाद्यान्न वितरण नहीं किया। कम खाद्यान्न प्राप्त होने की सूचना न तो डीलर द्वारा प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी या जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को दिया गया न ही प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा इसका अनुश्रवण किया गया कि किस–किस डीलर को कम खाद्यान्न प्राप्त हुआ है ।

अतः प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी को चेतावनी दिया जाता है कि भविष्य में वे नियमित रूप से इसका अनुश्रवण करेंगे एवं इसकी सूचना उच्चाधिकारी को देंगे साथ ही उलीराजाबासा के डीलर को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। वर्ष 2016 एवं वर्ष 2017 में खाद्यान्न नहीं प्राप्त होने की शिकायत कार्डधारी द्वारा निर्धारित समयावधि के दौरान नहीं की गई है। अतः वर्ष 2018 के सितम्बर माह से शेष लंबित अवधि का खाद्यान्न आदेश निर्गत की तिथि से 02 (दो) माह के अन्दर उपलब्ध कराने का आदेश जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को दिया जाता है। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी यदि निर्धारित अवधि 02 (दो) माह के अन्दर कार्डधारियों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015 के बिन्दु 06 के अनुसार हकदार व्यक्तियों को प्रतिमाह देय खाद्यान्न की मात्रा को 16.375 से गुणा करने पर प्राप्त फल के अनुसार भत्ता का भुगतान करेंगे।

5. असाई बोदरा, ग्राम–पशाय, प्रखण्ड–खूँटपानी जो कि दिव्यांग है उनका भी कार्ड फरवारी 2019 में रद्द कर दिया गया। जॉच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि गलत तरिके से उसका राशन पुरूनियॉ ग्राम के डीलर के साथ टैग कर दिया गया जबकि वह वहॉ नहीं रहती है। और उस गॉव में नहीं रहने के कारण ही उनका राशन कार्ड फरवरी 2019 में रद्द कर दिया गया। उन्हे पुनः मार्च 2019 में अन्तोदय कार्ड बना दिया गया है।

चुंकि गलत टैगिंग के कारण उनका राशन कार्ड फरवरी 2019 में रद्द कर दिया गया अतः प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को चेतावनी देते हुए आदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से 01 (एक) सप्ताह के अन्दर फरवरी 2019 एवं मार्च 2019 का खाद्यान्न आसाई बोदरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. ग्राम छोटा बंकाउ, प्रखण्ड खूँटपानी के ग्रामीणों को भी अक्टूबर 2018 से खाद्यान्न नहीं मिला है। इस संबंध में प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी को सुनवाई के दौरान निदेश दिया गया था कि वे ऐसे कार्डधारियों की सूची बनाकर उपलब्ध करायें। वैसे कार्ड धारी जिन्हें राशन अक्टूबर माह से नहीं मिला है उन्हें उस अवधि का खाद्यान्न का भुगतान जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी दो माह के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि तक भुगतान नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015 के बिन्दु 06 के अनुसार हकदार व्यक्तियों को प्रतिमाह देय खाद्यान्न की मात्रा को 16.375 से गुणा करने पर प्राप्त फल के अनुसार भत्ता का भुगतान करेंगे। डीलर की लापरवाही के कारण कार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण नहीं हुआ अतः डीलर को रद्द करने का आदेश दिया जाता है।
7. अरगुण्डी ग्राम, प्रखण्ड–खूँटपानी के ग्रामीणों का शिकायत है कि ग्राम अरगुण्डी में नेट नहीं होने के कारण उन्हें गॉव से 2.5Km दूर खूटपानी प्रखण्ड आना पड़ता है। इस संबंध में डीलर का कहना था कि अब वह Wi-fi लगा ली है। अतः परेशानी नहीं होता है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
–सह– अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

11/6/19

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–357(बी)/आ० दिनांक–19.03.2019 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची के पत्रांक–18/रा०, दिनांक–10.04.2019 से प्राप्त निदेश के आलोक में आदेश की प्रति उन्हें भेजें साथ ही शिकायतकर्त्ता श्री सिराज दत्ता को भी आदेश की प्रति भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
–सह– अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

11/6/19

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।